तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 103/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
07.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म Krosspie Enterprises, 25 Chandan Vihar, Panadhay Circle, Sanganer, Jaipur-302033, हाल– खुशबु केटर्स, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) लोकराज मीणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म Krosspie Enterprises, 25 Chandan Vihar, Panadhary Circle, Sanganer, Jaipur-302033 अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 25.4.2024 को फर्म Krosspie Enterprises, हाल– खुशबु केटर्स, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2330 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./596/Act/2024/621 दिनांक 09.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (लोकराज मीणा) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 23.12.2024 को प्रतिवादी संख्या–1 (नृसिंह) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण एवं फर्म Krosspie Enterprises की ओर से फर्म Krosspie Enterprises के पत्र क्रमांक 2024/149 दिनांक 23.12.2024 से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान हमारी फर्म मैसर्स क्रासपाई एन्टरप्रोईजेज द्वारा तैयार किये जा रहे भोजन के पैकेट से दिनांक 25.4.2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चूरमें के नमूनें लिये गये जो कि प्रयोगशाला द्वारा जांच में अमानक पाया गया है। मैसर्स क्रॉसपाई एन्टरप्राईजेज द्वारा तैयार किये गये सभी व्यंजन पूरी सावधानी और खाद्य मानकों के अनुरुप बनाये जाते है, इसके बावजूद यदि किसी नमूने की गुणवत्ता अमानक पाई गई है तो यह हमारे लिए अत्यन्त खेदजनक है। इस असुविधा और त्रुटि के लिये क्षमायाचना करते है। भविष्य में ऐसी किसी भी गलती की पुनरावृत्ति नही होगी। साथ ही हम अपने उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को और सख्त करने का संकल्प लेते है, ताकि ऐसी किसी समस्या का सामना न करना पडे। प्रकरण में प्रतिवादी नृसिंह को उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब के सन्दर्भ में दिनांक 23.12.2024 को ही सुना गया। हमनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव,	

.......लगातार

प्रति. लिपि सत्यापित
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 103/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 25.4.2024 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु समय 09–30 ए.एम. पर फर्म Krosspie Enterprises, हाल– खुशबु केटस, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से प्रतिवादी नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी उपस्थित मिलें। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी की उपस्थिति में फर्म Krosspie Enterprises, हाल– खुशबु केटस, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही का निरीक्षण करने पर चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) रखे हुए पाये। प्रतिवादी नृसिंह द्वारा बताया गया कि यह लोकसभा चनाव के तहत टेण्डर होने से भोजन पैकेट तैयार किये जा रहे है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा निरीक्षण के दौरान चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी नृसिंह व गवाह की उपस्थिति में फर्म Krosspie Enterprises, हाल– खुशबु केटस, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में रखे हुए चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) में से 2 किलोग्राम चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2330, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने गवाह एवं प्रतिवादी नृसिंह के समक्ष खरीदशुदा चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) को हिलामिलाकर एकरुप करके चार साफ, सूखी और खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा तथा इन चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को अलग अलग ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया तथा चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2330 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता .....लगातार	

प्रति. जिला परिवस्तृत
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 103/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	नृसिंह व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता नृसिंह एवं गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 29.4.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 25.4.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म Krosspie Enterprises, हाल– खुशबु केटस, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता नृसिंह पुत्र वीजाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2330 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./596/Act/2024/621 दिनांक 09.5.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2330, अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म Krosspie Enterprises का प्रोपराईटर प्रतिवादी लोकराज मीणा है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी लोकराज मीणा की प्रोपराईटरी फर्म Krosspie Enterprise, हाल– खुशबु केटर्स, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही द्वारा दिनांक 25.4.2024 को अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। .....लगातार	

न्यायालय मजि० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

मजि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 103/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	आदेश अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ चूरमा लड्डू (आटे, सुजी, गुड, कालु, घी से निर्मित) के निर्माण एवं विक्रय हेतु प्रतिवादी लोकराज मीणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म Krosspie Enterprises, 25 Chandan Vihar, Panadhary Circle, Sanganer, Jaipur-303033 पर राशि रुपये 60,000/- (अक्षरे रुपये साठ हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लोकराज मीणा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म Krosspie Enterprises, 25 Chandan Vihar, Panadhary Circle, Sanganer, Jaipur-303033 Hotel, Asli Jetalpur Highway, Ahmedabad (guj.) को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.2.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001	